APP-A
Crim-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

शकमा वाई बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 131,136 नं. 52 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/12/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खसरा नं० 612/393 रकबा 2.00 है० आराजी वाके ग्राम नोटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है जो प्रार्थीया के खाते दर्ज रेकार्ड है जिस पर वह मालिक व काबिज चली आ रही है। प्रार्थीया के खाते की उक्त आराजी शुरू से ही ख०नं० 611/393 के लगवां पश्चिमी दिशा में स्थित चली आ रही है और उसी अनुरूप प्रार्थीया काबिज काश्त है किन्तु तहसील लाडपुरा द्वारा सेग्री गेशन कार्य के दौरान प्रार्थीया के खाते दर्ज उक्त खवनं0 612/393 की तरमीम नक्शे में गलत रूप से मौके से भिन्न स्थान पर ख०नं0 393 की जगह पर कर दी तथा प्रार्थीया के कब्जे काश्त की जगह पर ख०नं0 393 की तरमीम कर दी जिसके संबंध में प्रार्थीया द्वारा तहसील में जाकर नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती मौके पर कब्जा अनुसार करवाने का निवेदन किया लेकिन इस पर तहसील द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई इस कारण प्रार्थीया को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश करना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीया की आराजी को गलत रूप से नक्शा ट्रेस में दर्शाने से प्रार्थीया को काफी कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है जबकि प्रार्थीया अपनी आराजी पर ख०नं0 611/393 के लगवां पश्चिभी दिशा में काबिज काश्त है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया के खाते दर्ज आराजी ख०न0 612/393 वाके ग्राम नोटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा का नक्शा ट्रेस में तरमीम मौके अनुसार ख०नं0 611/393 के लगवां पश्चिमी दिशा में ख०नं0 393 के स्थान पर किये जाने का तथा ख०नं0 393 को वर्तमान नक्शा शीट में दर्ज ख०नं0 612/393 के स्थान पर किये जाने का तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा के नाम आदेश जारी किया जाकर राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस में दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार लाडपुरा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट मे कथन किया है कि नामान्तकरण ग्राम नोटाना खसरा नं0 393 सिवायचक में से देवचंद पुत्र भूरालाल मेघवाल सा0 गंगायचा के 2 है0 भूमि गैर खातेदारी दिनांक 18.08.90 स्वीकृत हुआ। पुश्त पर अंकित नजरी नक्शा अनुसार देवचंद को खसरा नं0 393 में से दक्षिण पश्चिम (खसरा नं0 312 के उत्तर एवं खसरा नं0 595/327 के पूर्व) स्थित है। जो तत्कालीन पटवारी हल्का की रिपोर्ट पुश्त दिनांक 07.05.90 अंकित है। यह स्पष्ट होता है कि	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

खसरा नं0 393 के स्थान पर 612/393 व 612/393 के स्थान पर 393 गलत दर्ज हुआ है। दोनो नम्बर परस्पर मौके अनुसार सेग्रीगेशन पूर्व की स्थिति अनुसार व नामा0 पर दर्ज नजरी नक्शा अनुसार एक दूसरे के स्थान पर दर्ज हो गए है। जिसे परिवर्तित करते हुए 393 के स्थान पर 612/393 तथा 612/393 के स्थान पर 393 दर्ज किया जाना है।

बाद तहसील रिपोर्ट दौरानें बहस प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली एवं पत्रावली में सलंग्न तहसील रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पुश्त पर अंकित नजरी नक्शा अनुसार देवचंद को खसरा नं0 393 में से दक्षिण पश्चिम (खसरा नं0 312 के उत्तर एवं खसरा नं0 595/327 के पूर्व) आवंटन हुआ था जिसे रूकमा बाई द्वारा क्रय किया गया है। खसरा नं0 393 के स्थान पर 612/393 व 612/393 के स्थान पर 393 गलत दर्ज हुआ है। दोनो नम्बर परस्पर मौके अनुसार सेग्रीगेशन पूर्व की स्थिति अनुसार व नामा0 पर दर्ज नजरी नक्शा अनुसार एक दूसरे के स्थान पर दर्ज हो गए है।

उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन तहसील रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम नोटाना पटवार हल्का किशनपुरा तकिया के राजस्व नक्शाशीट में खसरा नं0 393 के स्थान पर 612/393 व 612/393 के स्थान पर 393 अंकित कर दुरूस्त की जावें।

उक्त निर्णय आज दिंनाक: 29/12/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी कोटा

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा